

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 155

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02290

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "पी.एम.ए.वाय एटी चांटीडीह", प्रमोटर-ई.ई. मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिलासपुर, द्वारा-श्री पंकज कुमार पंचायती, पता-विकास भवन, नेहरू चौक के पास, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" पी.एम.ए.वाय एटी चांटीडीह " पता-चांटीडीह, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/06/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "पी.एम.ए.वाय एटी चांटीडीह" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA250322001360 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 25.03.2022 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनांक 18.07.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा-59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।</p> <p>रजिस्ट्रार, छ.ग द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 01.12.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 04.03.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा अपने प्रतिनिधि श्री सुरेश बरूआ प्रकरण में उपस्थित हुये और प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने समय चाहा गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन के विस्तारण के लिये दिनांक 29.05.2024 को प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 155

प्रकरण क्रमांक -SM-EXP-2024-02290

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "पी.एम.ए.वाय एटी चांटीडीह", प्रमोटर-ई.ई. मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिलासपुर, द्वारा-श्री पंकज कुमार पंचायती, पता-विकास भवन, नेहरू चौक के पास, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-" पी.एम.ए.वाय एटी चांटीडीह " पता-चांटीडीह, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। - प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	